कार्यालय – जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, मैनपुरी।

पत्रांकः एस0एस0ए0 / के0जी0बी0वी0 / 241- 43 / 2023–24, दिनांक 20-05-2023

–:: विज्ञप्ति ::–

महानिदेशक, स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक, समग्र शिक्षा, राज्य परियोजना कार्यालय लखनऊ के पत्रांकः के0जी0बी0वी0 / 11308 / 2022–23, दिनांक 14.02.2023 एवं शासनादेश संख्याः 2805 / 68–5–2023–02 / 2020 दिनांक 01 फरवरी 2023 के क्रम में जनपद मैनपुरी में संचालित कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय घिरोर, करहल एवं सुल्तानगंज में शैक्षिक सत्र 2023–24(11 माह 29 दिन) हेतु संविदा आधारित रिक्त पदों के भरने हेतु भारतीय नागरिकों से आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। कार्मिकों के रिक्त पदों पर पदस्थापन विशेष अनुज्ञा याचिका सं0–13553 / 2022 स्टेट प्रोजेक्ट डायरेक्टर बनाम सरोज मौर्या व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित अन्तिम आदेश के अधीन होगी। समस्त पद महिलाओं हेतु आरक्षित हैं। आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप पर अन्तिम तिथि दिनांक 06-06-2023 तक पंजीकृत / स्पीड पोस्ट द्वारा कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी मैनपुरी पर प्राप्त होना अनिवार्य है, साधारण डाक से प्रेषित, निर्धारित प्रारूप के अतिरिक्त अन्य प्रारूप पर एवं अन्तिम तिथि के उपरान्त प्राप्त आवेदन पत्रों पर कोई विचार नहीं किया जायेगा और न ही इस सम्बन्ध में कोई सूचना दी जायेगी।

–:: रिक्त पदों का विवरण ::–

क्र. सं.	के0जी0बी0वी0 का नाम	पद का नाम	रिक्त पदों की संख्या	श्रेणी			विषय	आयु (दिनांक 01.04.2023 को)	निर्धारित शैक्षिक योग्यता	मानदेय प्रति माह
				एस0सी0	ओ0बी0सी0	अनारक्षित				
01.	के0जी0बी0वी0 घिरोर	पूर्णकालिक शिक्षिका	1	0	0	1	हिन्दी / संस्कृत	25 से 45 वर्ष	हिन्दी विषय से प्रशिक्षित स्नातक एवं उच्च प्राथमिक स्तर की टी0ई0टी0	22000
02.	के0जी0बी0वी0 घिरोर	पूर्णकालिक शिक्षिका	1	0	1	0	विज्ञान	25 से 45 वर्ष	जेड़0बी0सी0 वर्ग से प्रशिक्षित स्नातक एवं उच्च प्राथमिक स्तर की टी0ई0टी0	22000
03	के0जी0बी0वी0 घिरोर	अंशकालिक शिक्षक / शिक्षिका	1	0	1	0	कला, क्राफ्ट, संगीत / गृहशिल्प	25 से 45 वर्ष	सम्बन्धित विषय में स्नातक उपाधि सहित प्रशिक्षण उपाधि	9800
04	के0जी0बी0वी0 करहल	पूर्णकालिक शिक्षिका	1	0	0	1	गणित	25 से 45 वर्ष	पी0सी0एम0 वर्ग से प्रशिक्षित स्नातक एवं उच्च प्राथमिक स्तर की टी0ई0टी0	22000
05	के0जी0बी0वी0 करहल	अंशकालिक शिक्षक / शिक्षिका	1	0	0	1	शारीरिक शिक्षा	25 से 45 वर्ष	बी.पी.एड., सी.पी.एड. तथा डी.पी.एड. आदि उपाधि। टी0ई0टी0 अनिवार्य नहीं।	9800
06	के0जी0बी0वी0 करहल	सहायक रसोईया	1	1	0	0	—	25 से 45 वर्ष	कक्षा 8 उत्तीर्ण	5175
07	के0जी0बी0वी0 सुल्तानगंज	पूर्णकालिक शिक्षिका	1	0	0	01	विज्ञान	25 से 45 वर्ष	जेड़0बी0सी0 वर्ग से प्रशिक्षित स्नातक एवं उच्च प्राथमिक स्तर की टी0ई0टी0	22000
08	के0जी0बी0वी0 सुल्तानगंज	सहायक रसोईया	1	1	0	0	—	25 से 45 वर्ष	कक्षा 8 उत्तीर्ण	5175

आवेदन पत्र का प्रारूप एवं दिशा–निर्देश www.https://mainpuri.nic.in पर उपलब्ध है।

20/5/23

(दीपिका गुप्ता)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
मैनपुरी।

पृ0सं0: एस0एस0ए0 / के0जी0बी0वी0 / 241-43 / 2023--24, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि– निम्नांकित को उक्त सन्दर्भ में इस आशय से प्रेषित है कि कृपया उक्त विज्ञप्ति को आप अपने दैनिक समाचार पत्र के आगरा संस्करण में दिनांक 22-05-2023 को निर्धारित न्यूनतम आकार के बॉक्स में नियमानुसार शुल्क पर प्रकाशित करने का कष्ट करें। भुगतान की कार्यवाही हेतु सम्बन्धित बिल दो प्रतियों में भुगतान हेतु प्रस्तुत करें।

01. जिला सम्पादक, दैनिक समाचार पत्र, अमर उजाला, मैनपुरी।
02. जिला सम्पादक, दैनिक समाचार पत्र, दैनिक जागरण, मैनपुरी।

20/5/23

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
मैनपुरी।

कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में पूर्णकालिक शिक्षिका, अंशकालिक शिक्षिका एवं सहायक रसोईयों के रिक्त पद पर आवेदन का प्रारूप

स्वप्रमाणित नवीनतम फोटो

01. आवेदक का नाम (देवनागिरी लिपि मे) ....
02. आवेदक का नाम (अंग्रेंजी के केपिटल अक्षरो मे) ....
03. पिता का नाम ....
04. पति का नाम (यदि लागू हो) ....
05. जन्मतिथि– अंको में ....
शब्दों में ....
06. जाति– ....वर्ग (समान्य/अनु0जाति/अ0पि0वर्ग) ....
07. स्थाई पता..
08. पत्र व्यवहार का पता..
09. मोबाईल नं0/फोन नं0/ई–मेल..
10. आधार नम्बर (आधार कार्ड संलग्न करें) ....
11. मूल निवास प्रमाण पत्र (मूल निवास प्रमाण पत्र संलग्न करें) ....
12. कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में शिक्षक/शिक्षिका के रूप में कार्य करने का अनुभव ....
(अनुभव प्रमाण पत्र सम्बन्धित जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा निर्गत, संलग्न करना अनिवार्य है)
13. शैक्षिक योग्यताओं का विवरण–

क0सं0	परीक्षा का नाम	वोर्ड/विश्वविद्यालय	अनुक्रमांक	उत्तीर्ण वर्ष	पूर्णांक	प्राप्तांक	प्रतिशत
01	हाई स्कूल						
02.	इण्टरमीडिएट						
03.	स्नातक						
04.	स्नातकोत्तर						
05.	बी0 एड0						
06.	टेट						
07.	अन्य						

घोषणा

मै एतदद्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा समस्त सूचना पूर्णतः सत्य है। कोई तथ्य छिपाया नही गया है। यदि भविष्य मे कोई तथ्य/सूचना असत्य पायी जाती है तो मेरे विरूद्ध कोई भी विभागीय कार्यवाही होगी, मुझे मान्य होगी।

दिनांक..

आवेदक का हस्ताक्षर.......................

आवेदक का नाम...............................

अर्हता–

01. पूर्णकालिक शिक्षिकाओं के पदों के लिये निर्धारित योग्यता उच्च प्राथमिक स्तर की टी.ई.टी. एवं प्रशिक्षित स्नातक होगी। प्रशिक्षण उपाधि के अन्तर्गत एन.सी.टी.ई. से मान्य बी.एड./समकक्ष एल.टी.इत्यादि प्रशिक्षण को सम्मिलित किया जायेगा।
02. कस्तूरबा गाँधी आवासीय बालिका विद्यालयों के ऐसे शिक्षक/शिक्षिका जो शैक्षिक वर्ष 2020–21 में नवीन संविदा से वंचित हो रहे हैं, उन शिक्षकों द्वारा कस्तूरबा गाँधी आवासीय बालिका विद्यालयों में रिक्तियों के सापेक्ष होने वाले नवीन चयन में प्रदेश के किसी भी जनपद में आवेदन करने पर उन्हें चयन हेतु शैक्षिक अर्हता मे शासनादेश संख्या के0जी0बी0वी0/3–2/1916/2013–14 दिनांक 29.07.2013 के पूर्व कार्यरत शिक्षकों के लिये टी0ई0टी0 की अर्हता अनिवार्य नही होगी।

03. ऐसे शिक्षक/शिक्षिका जो शैक्षिक सत्र 2020–21 में नवीन संविदा से वंचित हो रहे हैं, उनके द्वारा कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालयों में रिक्तियों के सापेक्ष होनें वाले नवीन चयन में प्रदेश के किसी भी जनपद में आवेदन करने पर कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय में की गयी सेवा अवधि के प्रत्येक पूर्ण अध्यापन वर्ष के लिये सम्पूर्ण शैक्षिक वर्ष के लिये 02 प्रतिशत अतिरिक्त भारांक दिया जायेगा जो अधिकतम भारांक 30 प्रतिशत के अधिक नहीं दिया जायेगा।

04. कला, क्राफ्ट एवं संगीत आदि विषयों के लिये शैक्षिक योग्यता स्नातक उपाधि सहित प्रशिक्षण उपाधि होगी तथा गृह शिल्प के शिक्षक/शिक्षिका का पद कला, क्राफ्ट एवं संगीत के पद के अन्तर्गत ही माना जायेगा।

05. बी0पी0एड़0, सी0पी0एड़0 तथा डी0पी0एड़ आदि उपाधियां केवल शारीरिक शिक्षा के अध्यापन हेतु मान्य होंगी, किन्तु शारीरिक शिक्षा पद पर चयन हेतु बी0पी0एड़0 सी0पी0एड़0 तथा डी0पी0एड़0 अभ्यर्थियों हेतु टी0ई0टी0 अनिवार्य नहीं होगी।

06. गणित विषय के लिये शैक्षिक योग्यता पी0सी0एम0 वर्ग सेप्रशिक्षित स्नातक एवं उच्च प्राथमिक स्तर की टी0ई0टी0 तथा विज्ञान विषय के लिये शैक्षिक योग्यता जेड़0बी0सी0 वर्ग सेप्रशिक्षित स्नातक एवं उच्च प्राथमिक स्तर की टी0ई0टी0 होगी।

07. समस्त पदों पर महिला अभ्यर्थियों का ही नवीन चयन किया जायेगा।

आयु –

01. कस्तूरबा गाँधी आवासीय बालिका विद्यालयों के ऐसे शिक्षक/शिक्षिका जो निर्धारित आर्हता रखते हों किन्तु शैक्षिक सत्र 2020–21 में नवीन संविदा से वंचित हो रहे हैं, उनके द्वारा रिक्तियों के सापेक्ष आवेदन करने पर उन्हें चयन हेतु आयु सीमा में कस्तूरबा गाँधी आवासीय बालिका विद्यालय में कार्यरत रहने की अवधि के समतुल्य छूट प्रदान की जायेगी। किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि सम्बन्धित शिक्षक/शिक्षिका की आयु 60 वर्ष से अधिक न हो।

निर्देश –

01. इच्छुक अभ्यर्थी आवेदन पत्र के साथ अपने समस्त शैक्षिक,प्रशिक्षण सम्बन्धी प्रमाण पत्र,मूल निवास, आधार कार्ड आरक्षण सम्बन्धी प्रमाण पत्रों की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें। आवेदन पत्र के लिफाफे पर आवेदित पद का नाम स्पष्ट रूप से लिखित होना चाहिए।

02. अपूर्ण, हस्ताक्षर रहित, साधारण डाक से प्राप्त, निर्धारित तिथि के उपरान्त प्राप्त, एक लिफाफे में एक से अधिक आवेदन पत्र तथा निर्धारित प्रारूप के अतिरिक्त किसी अन्य प्रारूप पर प्राप्त आवेदन पत्र निरस्त कर दिये जायेंगे।

03. किसी सेवा से बर्खास्त, नैतिक/चारित्रिक अधमता के अपराध के लिए दोष सिद्ध एवं दिवालिया चयन के लिए अर्ह नहीं होंगे। चयन समिति अभ्यर्थिनी के चरित्र के सम्बन्ध में यथोचित समाधान करेगी।

04. पूर्णकालिक शिक्षिका, अंशकालिक शिक्षिकाएवं मुख्य रसोईया के पद पर महिला अभ्यर्थीयों का ही चयन किया जायेगा।

05. पूर्णकालिक शिक्षिका एवं मुख्य रसाईया को विद्यालय परिसर में रात्रि निवास करना अनिवार्य है।

06. तैनाती से पूर्व मुख्य चिकित्साधिकारी से चिकित्सीय परीक्षणोपरान्त फिजीकल फिटनेस का सर्टिफिकेट प्रस्तुत करना होगा कि वह किसी गम्भीर संक्रामक रोग से ग्रस्त नहीं है।

07. उपर्युक्त समस्त पद एक शैक्षिक सत्र 2023–24 (11 माह 29 दिन) के लिए संविदा आधारित होंगे तथा कार्य संतोषजनक होनें की दशा में जिलाधिकारी महोदय के अनुमोदनोपरान्त अगले साल के लिये नवीन संविदा की जायेगी।

08. आवेदन पत्र का प्रारूप विज्ञप्ति सहित जनपद की बेवसाइट, जिलाधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान जनपद मैनपुरी, कार्यालय सम्बन्धित ब्लॉक के उप–जिलाधिकारी, खण्ड शिक्षा अधिकारी, खण्ड विकास अधिकारी तथा जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा है।

09. अभ्यर्थी द्वारा एक पद हेतु एक ही आवदेन किया जाये, एक से अधिक आवेदन करने पर अभ्यर्थी का आवेदन निरस्त कर दिया जायेगा।

10. उपरोक्त शैक्षिक स्टॉफ के पदों का चयनमेरिट के आधार पर शासनादेश दिनांक 11 दिसम्बर 2020 के अनुसार किया जायेगा।

11. सहायक रसोईयों का चयन साक्षात्कार द्वारा किया जायेगा।

12. सभी नियुक्तियां विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या 13553/2022 राज्य परियोजना निदेशक व अन्य बनाम सरोज मौर्या व अन्य में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित अन्तिम आदेश के अधीन होगी।

Deepika 20/5/23

(दीपिका गुप्ता)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
मैनुपरी।